बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

बिहार सरकार, उद्योग विभाग, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के द्वारा 15 अगस्त, 2025(स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर गाँधी मैदान, पटना में ट्रॉली युक्त ट्रक पर **"बिहार का वैश्विक निर्यात – लोकल से ग्लोबल"** विषय वस्तु पर आधारित झाँकी निर्माण, कलाकारों द्वारा जीवंत प्रदर्शन करने हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से दिनांक 05.08.2025 को 12.00 बजे अपराह्न तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय में सीलबंद लिफाफे मे डिजाइन और शर्तो के अनुसार आवश्यक कागजात के साथ कोटेशन प्राप्त की जायेगी, जिसे उसी दिन 3.00 बजे अप0 में सभी कोटेशनदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। कोटेशन की शर्तों की जानकारी के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना के वेबसाइट www.umsas.org.in पर विजिट करें।

कोटेशन की शर्त्तें:–

1.	इकाई का GST,पैन कार्ड तथा अद्यतन आयकर (वित्तीय वर्ष 2024–25) का भुगतान प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2.	प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज न हो। शपथ पत्र देना होगा।
3.	झाँकी निर्माण हेतु चौदह चक्के वाले ट्रक पर किया जाना है। जिसकी साईज 40 फीट लम्बा 12 फीट चौड़ा एवं 15 फीट ऊंचा होगा।
4.	**"बिहार का वैश्विक निर्यात – लोकल से ग्लोबल"** शीर्षक विषय वस्तु पर निर्मित की जाने वाली झाँकी (Tableau) का ट्रक के चारो तरफ का 3D डिजाइन लम्बाई, चौराई और उचाई का अनुपात अंकित करते हुए संलग्न करना होगा। झाँकी में संशोधन करने का अधिकार उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को होगा।
5.	जीवंत कलाकारों में 16 सदस्य रहेंगे। झाँकी मंच के लिए अन्य कलाकारों की व्यवस्था सफल कोटेशनदाता को करना होगा। आवश्यकतानुसार सजावट पूर्ण रूप से मधुबनी पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, मंजूषा कला तथा फूल–माला से किया जाना है।
6.	झाँकी निर्माण, सजावट और जीवंत प्रदर्शन के साथ अंत में कुल दर (GST सहित) अंकित करना होगा।
7.	किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा कार्य के उपरांत भुगतान होगा।
8.	कार्य ससमय शुरू नहीं करने पर एवं संतोषप्रद सम्पादित नहीं होने की स्थिति में किसी अन्य ईकाई से कार्य सम्पादित करा लिया जायेगा तथा सफल कोटेशनदाता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
9.	सफल कोटेशनदाता को सभी कार्य दिनांक 13.08.2025 को 04.00 बजे अपराहन तक कार्य पूरा कर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित कर देना होगा। अन्यथा कोटेशन का 20% राशि कटौती कर ली जाएगी। दिनांक 14.08.2025 को 01.00 बजे अपराहन तक कार्य पूरा नहीं होने पर कोटेशन का 30% राशि कटौती कर ली जाएगी। वास्तविक भुगतान कोटेशन सूचना के कार्य विवरणी में दिये कार्य सतोषजनक एवं उत्कृष्ट होने पर ही किया जायेगा। मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के उपरांत बिल का भुगतान होगा।
10.	झाँकी निर्माण में कार्य जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक झाँकी निर्माण से जुड़े कर्मी कोई अन्य किसी का कार्य नहीं करेंगे।
11.	झाँकी निर्माण के क्रम में सफल कोटेशनदाता के कम से कम दो प्रतिनिधि निर्माण स्थल पर रहकर ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करायेंगे।

12.	झांकी निर्माण कार्य में लगने वाली सभी सामग्री सफल कोटेशनदाता को स्वयं अपने खर्चे पर उपलब्ध कराना होगा। संस्थान द्वारा कोई भी सामग्री नहीं दी जाएगी।
13.	प्राकृतिक आपदा की स्थिति या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सफल कोटेशनदाता को उसका पुनर्निर्माण करना होगा।
14.	किसी भी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान की चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
15.	विस्तृत/विशेष जानकारी के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०

निदेशक,

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,पटना।

ज्ञापांक 663 / पटना, दिनांक 26/07/025

प्रतिलिपि– 1. उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना (सूचना पट पर चिपकाने हेतु)।

2. आई0टी0 मैनेजर, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/7/25

निदेशक,

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,पटना।